फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

जम्मू एण्ड काश्मीर बैंक लि॰ बनाम मैसर्स ट्रंक एण्ड रूट्स

प्रकरण संख्या : 140/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
09.01.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से कोई उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण में बन्धक सम्पत्ति कृषि भूमि नही है, ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी बैंक को ऋण स्वीकृत किये जाने से पूर्व आंकी गई डी एल सी दर पेश करने को कहा गया था, किन्तु आज दिनांक तक पेश नहीं की गई है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट–2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	